



सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित)
प्रधान कार्यालय : सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़)

विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022
	समीक्षित	लेखा परीक्षित	समीक्षित	लेखा परीक्षित
1 अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ)	3,045	2,471	2,175	8,715
(क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	2,488	2,087	1,837	7,475
(ख) निवेशों पर आय	166	124	115	461
(ग) भा.रि.बैंक में अतिशेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	391	260	223	779
(घ) अन्य	-	-	-	-
2 अन्य आय	68	184	55	424
3 कुल आय (1+2)	3,113	2,655	2,230	9,139
4 ब्याज व्यय	1,911	1,547	1,508	5,702
5 परिचालन व्यय (i)+(ii)	170	203	113	600
(i) कर्मचारी लागत	114	104	88	370
(ii) अन्य परिचालन व्यय	56	99	25	230
6 प्रावधानों और आकरिमक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (4+5)	2,081	1,750	1,621	6,302
7 प्रावधानों और आकरिमक व्यय से पूर्व परिचालन लाभ (3-6)	1,032	905	609	2,837
8 प्रावधान (कर के अलावा) और आकरिमक व्यय (पुनरांकन पश्चात निवल)	(4)	162	(22)	352
9 असाधारण मदें	-	-	-	(97)
10 सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ (+) / हानि (-) (7-8+9)	1,036	743	631	2,388
11 कर संबंधी व्यय (डीटीए / डीटीएल के पश्चात निवल) (10-11)	260	166	141	430
12 सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात निवल लाभ(+) / हानि(-) (10-11)	776	577	490	1,958
13 असाधारण मदें (कर व्यय घटाकर)	-	-	-	-
14 अवधि का निवल लाभ (+) / हानि (-) (12-13)	776	577	490	1,958
15 चुकता ईक्रेडिट शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर)	569	569	532	569
16 आरक्षितियाँ पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर	24,492	23,716	20,952	23,716
17 विश्लेषणात्मक अनुपात				
(i) भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत	20.85%	20.85%	15.40%	20.85%
(ii) पूंजी पर्याप्तता अनुपात	21.53%	24.28%	30.93%	24.28%
(iii) प्रति शेयर आय (मूल और पतला) (ईपीएस)	13.64	10.83	9.21	36.79
(iv) गैर निष्पादित आरिस्त अनुपात				
a) गैर-निष्पादक आरिस्त की सकल राशि	220	218	343	218
b) गैर-निष्पादक आरिस्त की निवल राशि	129	132	218	132
c) सकल गैर-निष्पादक आरिस्त का %	0.11	0.11	0.26	0.11
d) निवल गैर-निष्पादक आरिस्त का %	0.06	0.07	0.17	0.07
(v) आरिस्तियों पर प्रतिफल (कर पश्चात) वार्षिकीकृत	1.20%	0.96%	1.08%	0.96%
(vi) निवल मालियत	24,150	23,497	21,185	23,497
(vii) बकाया भुनाने योग्य वरीयता शेयर	-	-	-	-
(viii) पूंजी मोचन रिजर्व	-	-	-	-
(ix) डिबेंचर मोचन रिजर्व	-	-	-	-
(x) ऋण - ईक्रेडिट अनुपात *	4.72	3.22	1.23	3.22
(xi) कुल परिसंपत्तियों के लिए कुल ऋण (%) *	39.10	30.61	14.96	30.61

*ऋण (जमा को छोड़कर) कुल उधार को दर्शाता है

टिप्पणियाँ:

- बैंक इन वित्तीय परिणामों को तैयार करने में उन्हें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का अनुपालन कर रहा है, जैसा कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए किया गया था।
- निदेशक मंडल द्वारा 05 अगस्त, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त परिणाम समीक्षित किए गए हैं।
- 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के आंकड़े वित्त वर्ष 2021-22 के संबंध में लेखा परीक्षित आंकड़ों और 31 दिसंबर, 2021 तक प्रकाशित वर्ष के आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं।
- 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक से जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर गैर-निष्पादक आरिस्तियों, मानक आरिस्तियों तथा निवेश संबंधी मूल्यहास के लिए आवश्यक प्रावधान करने के बाद निकाले गए हैं। आयकर, आस्थगित कर तथा कर्मचारी लाभ सहित अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान, जहाँ भी अपेक्षित हैं, अनुमानित/समानुपातिक आधार पर किए गए हैं और वर्षांत में समायोजन के अधीन हैं।
- कोविड-19 महामारी बैंक के परिचालन और परिसंपत्ति की गुणवत्ता को किस हद तक प्रभावित करती रहेगी, वर्तमान में चल रहे और साथ ही भविष्य के घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा।
- कोविड-19 के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में संविभाग के कुछ खंडों पर, जिन्हें बैंक के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दबावग्रस्त माना गया था, ₹151.03 करोड़ के अतिरिक्त मानक संपत्ति प्रावधान किए हैं।
- ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर भारतीय रिजर्व बैंक के 24 सितंबर, 2021 के मास्टर निर्देश के अनुरूप 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान हस्तांतरित / अधिग्रहित किए गए ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:
30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान:
i बैंक ने असाइनमेंट के माध्यम से चूक न होने वाले किसी भी ऋण का अधिग्रहण नहीं किया है।
ii बैंक ने किसी भी गैर-निष्पादित आरिस्तियों (एनपीए) को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) / अनुमत हस्तांतरणियों / अन्य हस्तांतरणियों को स्थानांतरित नहीं किया है।
iii बैंक ने किसी भी दबावग्रस्त ऋण का अधिग्रहण नहीं किया है और न ही किसी चूक / विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के ऋण को स्थानांतरित किया है।
iv बैंक ने एआरसी को हस्तांतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी सुरक्षा रसीदों (एसआर) में निवेश नहीं किया है।
- निवल अनर्जक आरिस्तियों के परिकलन के लिए चल प्रावधान को विचार में नहीं लिया गया है।
- पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15 मई, 2019 के पत्र के अनुसार, अगली सूचना तक एआईएफआई के लिए आईएनडी-एस का क्रियान्वयन आस्थगित कर दिया गया है।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उपर्युक्त परिणामों की सीमित समीक्षा की गई है।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(सिवसुब्रमणियन रमण)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

दिनांक: अगस्त 05, 2022

स्थान: मुंबई